न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डीक्री/टीए /6461/2002/नागौर

भंवरलाल पुत्र हेमाराम जाति धोबी निवासी मेडता तहसील मेडता जिला नागौर

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सरकार जरिये प्रतिनिधि जिलाधीश नागौर
2– तहसीलदार मेडता

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
कमला अलारिया, सदस्य
मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 06.04.26

1– यह अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 63/2000 में पारित निर्णय दिनांक 24–9–02 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक राजस्व वाद रेस्पोडेण्ट के विरूद्व न्यायालय उपखंड अधिकारी मेडता के समक्ष अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी खसरा नंबर 1843 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा आराजी पर वादी/अपीलांट के संवत् 2012 से कब्जेकाश्त में चली आ रहा है। अपीलांट वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। अपीलाण्ट को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अतः अपीलाण्ट/वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण

न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर बाद साक्ष्य सबूत अपने निर्णय दिनांक 29–1–93 से वादी का वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–7–96 के द्वारा अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी मेडता ने अपने निर्णय दिनांक 27–4–2000 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्व प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–9–02 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है ।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने प्रकरण इस आधार पर रिमाण्ड किया था कि खसरा नंबर 1843 की मौके की स्थिति एवं कब्जेकाश्त की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय ने ना तो कब्जे बाबत् कोई निष्कर्ष अंकित किया और ना ही प्रस्तुत सबूतों एवं साक्ष्यों का विवेचन किया। तहसीलदार मेडता की मौका रिपोर्ट दिनांक 9–1–91 के अनुसार मौके पर नाडी नहीं होने का अंकन है तथा विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा बताया है। उनका यह भी कथन है कि उक्त आराजी में से अन्य व्यक्तियों को आवंटन के आधार पर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा संवत् 2012 से स्पष्ट है तथा प्रतिवादी द्वारा इसके खंडन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। विचारण न्यायालय ने संक्षिप्त निर्णय से अपीलांट का वाद खारिज किया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी संक्षिप्त निर्णय से उसका समर्थन किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय नियम विरूद्व होने से खारिज किये जाकर हस्तगत् अपील स्वीकार की जावे।

4– उपरोक्त कथनों का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।

अपीलांट विवादित आराजी पर संवत् 2012 से कब्जाकाश्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में साबित नहीं कर पाया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावे।

5— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विवादित आराजी खसरा नंबर 1843 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा आराजी पर अपीलांट के संवत् 2012 से काबिजकाश्त चले आने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा का विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी मेडता ने उभय पक्ष को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 27—4—2000 से खारिज कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24—9—02 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है। उपखंड अधिकारी ने वादी अपीलांट का वाद विवादित आराजी पर संवत् 2012 से लगातार कब्जाकाश्त साबित नहीं होने की स्थिति में खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाडी की होकर सार्वजनिक हितार्थ भूमि अंकित करते हुये विवादित आराजी का आवंटन अथवा नियमन हेतु उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की प्रथम अपील खारिज करते हुये यह अंकित किया कि अपीलांट को कब्जे के आधार पर इस खसरे में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पूर्व में नियमन हो चुका है जिसके उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा वाद में वर्णित विवादित आराजी पर अपीलांट द्वारा कब्जा संवत् 2026 में किये जाने से वह मात्र अतिक्रमी है। वादी का संवत् 2012 से लगातार कब्जाकाश्त साबित नहीं होने की स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उसे खातेदारी का पात्र नहीं माना है। इस न्यायालय की खंडपीठ के विनम्र मत में विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाडी होना निर्विवाद तथ्य है तथा विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन/नियमन किया

जाना विधिविरूद्ध है। वादी अपीलांट दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अथवा हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे उसका विवादित आराजी पर कब्जाकाश्त संवत् 2012 से लगातार चला आ रहा हो। अपीलांट ने विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है। प्रतिकूल धारण के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आरआरडी 2011 पेज 508 में राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि :–

Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - The questions as referred by Division Bench of this court for consideration of the Full Bench -(1) Whether Khatedari rights can be conferred on a trespasser on the basis of adverse possession; (2) whether tenancy rights extinguished u/s 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari rights on trespasser on the basis of adverse possession or after extinction tenancy rights revert to the land holder-the State Govt; (3) Whether Board of Revenue has legislative powers to lay down a new law for grant of khatedari rights over and above the Act; (4) whether the judgment of the Larger Bench reported in 1991 RRD1 should be revoked or annulled in light of the provisions of the Act of 1955 - Answer given by the Full Bench (1) in the view of this Bench Larger Bench in its judgment '1991 RRD 1' has not laid down a good law because the rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy right to the adverse possessor - Conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation; (2) In the opinion of this Bench extinguishment of tenancy rigths create no khatedari rigths on the basis of adverse possession; (3) In the opininon of this Bench, the Board does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights; (4) In the opinion of this Bench, the judgment of Larger Bench reported in ''1991 RRD 1'' being not a good law, deserves to be set aside - The matter may now be placed before the concerned Bench for decision of appeal according to law.

उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

7– हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार, तथ्य एवं विधि संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त समवर्ती निर्णयों में

हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना अभिभाषक उभय पक्ष के दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य